ISBN: 978-81-974088-0-9

3. भारत में विकलांगता: एक मानवीय समस्या

डॉ. गरिमा दीवान

प्राध्यापक,
अंग्रेजी सहायक प्राध्यापक,
ISBM विद्यापीठ कोस्मी,
नवापारा.

प्रस्तावना:

भारतीय जनगणना के, संदर्भ में, जब हम, एक ऐसे वर्ग पर दृष्टि डालते हैं तो, यह पता चलता है कि, उनके बारे में, (विकलांगता) जनगणना का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। जिससे विकलांग लोग, कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि विकलांग लोगों का, जनगणना में, एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय समाज के लोगों द्वारा, उनका (विकलांगों) बहिष्कार करना, अपमानजनक टीका-टिप्पणियों का सामना करना, उनके साथ उचित व्यवहार न करना, उन्हें सामानता व अधिकार का हक नहीं देना। सरकारी योजनाओं का, लाभ से, पंचित करना और उन्हें सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने आदि, ऐसी समस्याएं हैं। जिनका वे (विकलांगों) सामना कर रहे हैं, इसीलिए विकलांगों का अध्ययन करना, अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

भारत के अधिकांश लोग, यह आवश्यक जानते होंगे की, विकलांगता का अर्थ क्या है?, और इसे कैसे परिभाषित किया जाता है, परंतु यह नहीं जानते होंगे कि, हमारे देश में, जनगणना में विकलांगों की परिभाषा के अंतर्गत, विकलांगता से संबंधित, एक बड़ा समूह शामिल है।

सामान्य शब्दों में, **एक विकलांग व्यक्ति वह है, जो शारीरिक, मानसिक व बोद्धिक रूप से, अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। या हम, यह कह सकते हैं कि, वह इन सभी, कारकों की दृष्टि से, अक्षम है।(1)** जबकि भारतीय विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016, स्पष्ट करता है कि-भारतीय समाज में, जीवन-यापन करने वाला, वह व्यक्ति, जो दीर्गकाल से शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक दृष्टि से, समाज में दूसरे

लोगों से बातचीत से, लेकर समाज में, अपनी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में, अक्षम है।(2) जिसमें अनेक प्रकार के, चिकित्सीय मुद्दे जैसे:-अंधापन, कम दृष्टि, चलने-फिरने में, अक्षमता, श्रवण, बाधित, बौनापन, सीखने की क्षमता इत्यादि सभी कारक या मुद्दे शामिल हैं।

भारत के संदर्भ में, विकलांग लोगों की स्थिति, उतनी अच्छी नहीं है, जितनी की, सामान्य व्यक्तियों की है, क्योंकि विकलांग लोग, बारे में, अभी तक विकलांगों की संख्या का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

हालांकि हमारे देश में विकलांग लोगों की, संख्या का अनुमान, **भारत की पहली जनगणना सन 1872 से ही विश्लेषण जारी रखा गया था।(3)** परंतु फिर भी, सटीक जनगणना के अभाव में, उनकी समस्याओं का, उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। भारत को, आजाद हुए, लगभग 77 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन विकलांगों की स्थिति, आज भी, वैसी ही बनी हुई है। आज भी, उनके (विकलांगों) के साथ, अमानवीय व बहिष्कार जैसा व्यवहार किया जाता है।

यह शोध पत्र, विशेष रूप से, भारत में विकलांग लोगों की समस्याओं पर, आधारित है, जिसमें हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि, उनकी समस्याएं क्या-क्या है?, और आज तक, विकलांग लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है?, आदि।

विकलांगता की अवधारणा

विकलांगता, एक ऐसी अवधारणा है, जिसके बारे में लगभग सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि, यह (विकलांगता) अवधारणा, विकलांगों के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करती है।

मतलब, इसके अंतर्गत अंधापन से लेकर, श्रवण बाधित, कुष्ट रोग से ठीक हुए लोग, सोच याद रखना, सुनना, मानसिक बीमारी व संवाद करना इत्यादि शामिल है। विश्व के विभिन्न दार्शनिक, जिस बात की ओर इशारा करते हैं कि, विकलांगताएं छुपी हो सकती हैं। अर्थात उन्हें देखना आसान नहीं होता है। वास्तव में विकलांगताओं से

संबंधित, कुछ मुद्दे, ऐसे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर की अंदरूनी चोट या बिकार व बीमारी से संबंधित विकृतियों, जो व्यक्ति के शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, जोकि विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है, जो संपूर्ण विश्व के लोगों के संबंध में, स्वास्थ्य स्तर को मापने का कार्य करता है। ने विकलांगताओं की अवधारणा के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर अपनी दृष्टि डाली है। जैसे:-

1. समाज या देश में जीवन यापन करने वाले, ऐसे लोग, जो अपनी शारीरिक क्षमता या मानसिक बीमारी की समस्या से जूझ रहे हैं।
2. व्यक्तियों की गतिविधि जैसे:-देखने-सुनने या चलने-फिरने में कठिनाइयां की, समस्या का सामना कर रहे हैं।
3. विकलांगों द्वारा समाज में अन्य लोगों से बातचीत करने, से लेकर, अपनी पूर्ण भागीदारी संबंधी, कठिनाइयों।(5) उनके द्वारा निर्धारित किए गए, यह बिंदु, विकलांगता की व्यापक अवधारणा को प्रकट करते हैं और यह बताते हैं कि, विकलांगता किसी व्यक्ति के संदर्भ में, किस प्रकार विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। यह समस्या, यही तक सीमित नहीं है, बल्कि दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि समाज के कुछ लोगों द्वारा विकलांगों के, जीवन को विभिन्न टीका-टिप्पणियों द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। यह उसी प्रकार है, जिस प्रकार को, एक व्यक्ति को जंजीरों से जकड़ कर, जेल में डाल दिया जाता है। इसके संबंध में, **विश्व का एक दार्शनिक, जिनका नाम रूसो है, ने स्पष्ट किया है कि-**किसी भी समाज में व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है। लेकिन, जब वह किसी विकृति से विकसित हो जाता है तो, उसे जंजीरों या जेल में डाल दिया जाता है। (यहां जंजीरों या जेल से मतलब, विकलांगों को, घर तक सीमित करना है) जोकि असंवैधानिक है अर्थात कोई भी, उनकी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है।(6) इसलिए हमें विकलांगों के साथ, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए क्योंकि विकलांगता की स्थिति के लिए उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है।

भारत में विकलांगता से संबंधित, कुछ अवधारणाएं ऐसी भी हैं, जो विकलांगों को गरीब या कमजोर वर्ग के रूप में स्पष्ट करती हैं। **आर.पांडे और एम.के.चार्ल्स (2019) ने, अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-**भारत में विकलांग लोग, वो लोग हैं, जो

गरीबी या कमजोरी की अवस्था में, अपना जीवन यापन कर रहे हैं।(7) कहने का मतलब यह है कि, वे (विकलांग) विकलांगता के कारण, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक एवं रोजगार की दृष्टि से, कमजोर हैं जिसका कारण सामान्य व्यक्तियों द्वारा, उनके साथ शत्रुतापूर्ण व अमानवीय व्यवहार करना है।

वैश्विक स्तर पर, विकलांगता की अवधारणा के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने, यह स्वीकार किया है कि विकलांगता की, एक भी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसके आधार पर, **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने परिभाषित किया है कि-**संपूर्ण विश्व में, जिस प्रकार से विकलांगता की समस्या उत्पन्न हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए, यही कहा जा सकता है कि विकलांगता, एक विकासशील अवधारणा है।

जो विकलांग व्यक्तियों में, मनोवृतियों तथा पर्यावरणीय बाधायो के बीच, अंतर क्रिया से उत्पन्न हुई है। जिसकी वजह से, विकलांग व्यक्ति, समाज में अपनी पूर्ण या प्रभावी भागीदारी प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं।(8)

हालाकि भारत में विकलांगता से संबंधित अवधारणा को, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, पहली जनगणना से ही कार्य शुरू हो गया था। लेकिन वास्तविकता में, इस अवधारणा का प्रतिपादन 1970 में ही शुरू हुआ था।

अर्थात् भारतीय समाज में विकलांगता की अवधारणा प्रचलित हुई थी और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु, एक अधिनियम 1995 पारित किया गया था।

इस अधिनियम सन 1995 की धारा (2) के अनुसार-भारत में विकलांगता, एक समूह की, विकलांगता के रूप में व्याप्त है। अर्थात अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण बाधित, मानसिक बीमारी, चलने-फिरने में अक्षमता और कुष्ट रोग से ठीक हुए व्यक्ति आदि।(9)

विकलांगता अधिकार अधिनियम (2016) के अनुसार-भारत में, उन व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्ति कहा जाता है जो, काफी लंबे समय से, शारीरिक, मानसिक बोद्धिक और संवेदी विकलांगता से पीड़ित है तथा समाज में भागीदारी के संबंध में, बाधाओ की अवस्था में हैं।(10)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि, भारतीय समाज में विकलांगता, एक व्यक्ति के लिए अभिशाप है, जो दीर्घकाल से, अपनी शारीरिक, मानसिक व बोद्धिक अक्षमताओं से जूझ रहा है, जिसकी वजह से, वह न केवल अपने आसपास के लोगों से, बातचीत करने में अक्षम है, बल्कि समाज में अपनी पूर्ण भागीदारी अदा करने में भी, असमर्थ है।

भारत में विकलांगता:-एक मानवीय समस्या

मुझे यह महसूस होता है कि, शारीरिक रूप से, स्वस्थ एवं सुंदर से भरपूर व्यक्ति को, लगभग सभी, उसे पसंद करते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब, ऐसे व्यक्ति की बात आती है कि, वह विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं (श्रवण बाधित, अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, बहरापन व अन्य) से ग्रसित है, तो अधिकांश लोग, उनसे घ्रणा करने लगते हैं।

उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा सामाजिक-बहिष्कार भी, जबकि जनगणना की दृष्टि से, वह भी, हमारे समाज व देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो, ऐसा क्यों?, तथा इसका कारण क्या है?, और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?, क्या भारत सरकार जिम्मेदार है, अब हम विस्तार पूर्वक इसको समझने का प्रयास करते हैं।

यदि कोई, मुझसे पूछे कि, हमारे देश में विकलांगों के साथ, किया जाने वाला गलत व अमानवीय व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मेरा एक पंक्ति में जवाब होगा कि, भारत सरकार, क्योंकि हमारे देश में, व्यक्तियों, फिर वह चाहे सामान्य व्यक्ति हो या फिर विकलांग, के अधिकारों व हितों के संरक्षण हेतु, मानवाधिकार आयोग स्थापित है, जिसका कार्य, देश के किसी भी व्यक्ति के प्रति, होने वाले शोषण के खिलाफ कार्रवाई करना तथा कानून का गठन करना है। हालांकि भारत में, विकलांगों के अधिकारों को, संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न कानून **जैसे:-मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, विकलांग व्यक्ति के समान अवसर पर, अधिकारों का, संरक्षण अधिनियम 1995, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगता अधिनियम 1999।(11)** परंतु फिर भी, विकलांगों के साथ, आये दिन सामान्य लोगों द्वारा गलत व्यवहार व शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है।

भारत में, विकलांगों से संबंधित पहले, जो समस्या है, वह जनगणना को लेकर है। अर्थात जब हम, हमारे देश में विकलांगों की संख्या का, अनुमान लगाते हैं तो, काफी अंतर नजर आता है। **भारत सरकार द्वारा की गई (2011) की जनगणना के अनुसार-** देश में विकलांगों की संख्या 26.8 मिलियन (2%) है, जबकि वर्ष 2018 में, भारत सरकार के नमूना सर्वेक्षण विभाग द्वारा, कुल अनुमानित संख्या का प्रतिशत 2.2% बताया गया है।(12) यह अंतर स्पष्ट करता है कि, हमारे देश में विकलांग लोगों की संख्या का अनुमान लगाने में, कितनी लापरवाही बरती गई है, जो संख्या 2011 में 2.2% थी, वह संख्या 2018 में, भी बताई गई है। जब संख्या का, अनुमान ठीक नहीं होगा तो, उनके लिए (विकलांगों) भारत सरकार द्वारा, विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं का निर्माण कैसे किया जाएगा। इसी प्रकार का, एक और प्रमाण है, **जोकि भारतीय संगणना 2011 के जनरल सी चंद्र मौली ने स्पष्ट किया है कि-**भारत में विकलांग लोगों की संख्या में, वृद्धि वर्ष 2001 से 2011 तक, क्रमशः 2.3 प्रतिशत व 2.31 प्रतिशत थी। जबकि विश्व बैंक, अपनी एक रिपोर्ट में भारत में, विकलांग लोगों की संख्या, लगभग 50 से 80 मिलियन से अधिक बताती है। अब सवाल यह उठता है कि, ऐसा क्यों?, क्या भारत सरकार विकलांगों से संबंधित आंकड़ों को छूपाना चाहती है। इस तरह से की गई, जनगणना से ना तो विकलांग लोगों को फायदा होगा और ना ही भारत सरकार को, क्योंकि कभी ना कभी वास्तविक संख्या सामने आएगी और हमारा देश, जोकि विश्व में अभी पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। संपूर्ण विश्व में बदनामी के नाम से जाना जाएगा, इसलिए मेरा कहना है कि, हम अपने देश में पाए जाने वाले विकलांग लोगों की संख्या का अनुमान, ठीक तरह से लगाए, उनकी वास्तविक संख्या आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि विकलांगों की सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक व राजनीतिक अधिकारों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके।

भारत में, विकलांग लोगों से संबंधित एक और समस्या, उनके (विकलांगों) सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। कुछ विद्वान, जिनका नाम, **जे.के.बोहरा, आर.सैकिया, आर.एस.मिश्रा, आर.मिश्रा और एस.के.मोहंती ने स्पष्ट किया है कि-**हमारे देश में, विकलांग लोगों की समस्या, उनकी आयु, स्वस्थ एवं लिंग इत्यादि से जुड़ी हुई है।(15,16) यही नहीं बल्कि, विकलांग लोगों की, सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी, एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़ी हुई है।

उन्हें (विकलांगों) शिक्षा से लेकर, कम रोजगार, रहने की खराब परिस्थितियों और सेवाओं तक, कम पहुंच, आदि का सामना करना पड़ रहा है।(17,18) भारत के, कुछ परिवार, जिनमें विकलांग लोग हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं तो, उनका स्वास्थ्य व्यय अधिक हो जाने के कारण, वह गरीबों की अवस्था में चले जाते हैं। जिससे उन्हें और अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि गरीबी की, अवस्था किसी भी स्थिति में, अच्छी नहीं मानी जाती है। **(उदाहरण के लिए भारत में गरीबी क्या होती है?, मुझे उसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।)** विकलांग लोगों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के कारण, वे ना तो समाजवादी देश की, मुख्य धारा से, जुड़ पा रहे हैं और ना ही, वह समाज में अपना जीवन यापन, कर पा रहे हैं। यह उनके लिए, एक जटिल समस्या बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण, **हमारे देश में विकलांग लोगों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और सामान्य व्यक्ति एवं विकलांग लोगों के बीच, व्याप्त समानताओं को ठीक, से नहीं समझ गया है।(19)** हमारे देश में, कभी भी, ना तो विद्वानों ने ध्यान दिया और ना ही भारत सरकार ने, (भारत में विकलांगों की उचित रूप से नहीं की गई गणना इसका प्रमाण है।) यही कारण है कि, देश में, विकलांग लोग विभिन्न प्रकार की दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि, आप, हमें तथा भारत सरकार को, मिलकर उनके लिए (विकलांगों) कदम उठाना होगा। तभी वह सुरक्षित तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे।

भारत में, जब विकलांग संख्या कहां पर अधिक है, का मूल्यांकन किया गया तो, यह प्राप्त हुआ कि, शहरी क्षेत्र की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों में, विकलांग लोगों की सर्वाधिक संख्या है। **वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार-भारत की कुल आबादी में से, विकलांग लोगों की संख्या, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में, क्रमशः 69% व 31% है।(20)** यही नहीं बल्कि, शहरी क्षेत्र की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लोगों की संख्या में, अधिक वृद्धि हो रही है। इसी जनगणना के दौरान, वर्ष 2011 में शहरी क्षेत्र में, यह वृद्धि 2.57 प्रतिशत थी, जबकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, यह वृद्धि 2.24% थी।(21) इससे हमें, यह स्पष्ट होता है कि, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, विकलांगों की सर्वाधिक संख्या का, पाया जाना, एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सुविधाओं का, व्यापक पैमाने पर अभाव है। अधिकांश चिकित्सक शहरी क्षेत्र से, प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने का कार्य करते हैं, जिसमें से कुछ,

नियमित सेवा देते हैं तो, कुछ कई-कई दिनों में, ऐसी स्थिति में विकलांगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की घ्रणाआत्मक टिका-टिप्पणियां एवं शत्रुतापूर्ण व्यवहार का, ये लोग (विकलांग) दिन-प्रतिदिन सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी, इन लोगों पर, कोई भी ध्यान नहीं दिया है। यदि कोई सुविधा, इन क्षेत्रों में, सरकार की ओर से आती भी है तो, गांव के प्रभावशाली लोग, (जमीदार, सरपंच, साहूकार) विकलांगो तक पहुंचने नहीं देते हैं। ऐसी स्थितियों में, विकलांग सुविधाविहीन हो जाते हैं और विकलांगों के लिए, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

अत: आवश्यकता है कि, ग्रामीण वासियों से लेकर, भारत सरकार के स्वास्थ्य संबंधी, नीति-निर्माताओं को, उन पर विशेष ध्यान देते हुए, उनके लिए बनाई गई नीतियों एवं कार्यक्रमों का, उचित कार्यान्वयन करना चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि, विकलांग तक, सुविधा पहुंच रही हैं कि नहीं, यदि हां तो, ठीक है, यदि नहीं तो, उसका उचित मूल्यांकन करना होगा और जिम्मेदार लोगों पर, कार्रवाई करनी होगी। तभी विकलांगों की समस्याएं हल हो सकती हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2016 में, एक अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, पारित किया था, जिसका मूल उद्देश्य, हमारे देश में जीवन यापन करने वाले विकलांगों के अधिकारों व हितों का संरक्षण प्रदान करना तथा उन्हें सुरक्षित बनाए रखना था, लेकिन हमारे देश में, इस अधिनियम का कढ़ाई से पालन नहीं किया गया है। जिसकी वजह से विकलांग लोग, कई समस्याओं के साथ-साथ, जीवकोपार्जन के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक की, विकलांग लोग अपनी जीवित रहने की इच्छा हो चुके हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पारित किया गया, अधिनियम में भी, कमी पाई गई थी। **भारत सरकार ने सर्वप्रथम सन 1995 में, दिव्यांग अधिनियम पारित किया था, जिसमें केवल विकलांगों से संबंधित 7 बीमारियां शामिल की गई थी। लेकिन, जब वर्ष 2016 का दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पारित किया गया तो, उसमें बीमारियों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई थी।(22)** इससे यह स्पष्ट होता है कि, भारत सरकार ने भी, विकलांगों की स्थिति सुधारने के लिए, पूर्व से ही प्रयास नहीं किया था। बाद में बीमारियों की संख्या बढ़ाई गई थी, जिससे पूर्व के, कुछ विकलांग लोगों को कठिनाई व जटिल परिस्थितियों

का सामना करना पड़ा था। मेरा सरकार से कहना है कि, अधिनियम की रचना, इस प्रकार से होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी विकलांग सुविधाओं से वंचित न रह जाए और विकलांगों को संघर्षमय जीवन यापन ना करना पड़े आदि।

भारत में वर्तमान कालीन सरकार ने, विकलांगों के लिए समुचित सेवा प्रदान करने हेतु, मैंने एक कार्यक्रम या अभियान का, वर्णन करने का निर्णय लिया है। जिसे सुगम्य भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। **सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत, वर्तमान कालीन प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के, अवसर पर, 3 दिसंबर 2015 को की गई थी।(23)** जिसका उद्देश्य में जीवन यापन करने वाले, दिव्यांगों के लिए समुचित सहायता हेतु, एक ऐसा वातावरण या माहौल का निर्माण करना है, जिससे कि वे (विकलांग) अपना आरामदायक जीवन यापन कर सकें। इसके लिए भारत सरकार ने, सभी सार्वजनिक स्थानों को, बिना किसी कठिनाई के सुलभ करना है। इस अभियान के अंतर्गत, कई नीतियों, विशेष रूप से, मानव संसाधन नीतियों एवं कार्यक्रमों का भी गठन करने का प्रावधान रखा गया है। अर्थात विकलांगों के लिए, शिक्षा से लेकर, रोजगार परिवहन, मनोरंजन एवं स्वास्थ्य सुविधा आदि। बिना किसी रूकावट के उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है।(24) सुगम्य भारत अभियान के अवसर पर, भारतीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी, ने कहा कि, मैं संपूर्ण देशवासियों से, यह आवान करता हूं कि, वे विकलांग लोगों को, विकलांग कहने के स्थान पर, दिव्यांगजन कहना चाहिए और उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए, जिससे कि वे (दिव्यांग) समाज व देश में स्वाभिमान और सम्मान के साथ, अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

निष्कर्ष:

हमारे देश में, दिव्यांगजन समाज व देश का, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि भारतीय जनगणना में, जिस प्रकार सामान्य व्यक्तियों की गणना की जाती है, ठीक उसी प्रकार विकलांगों की भी की जाती है। फिर क्यों, सामान्य व्यक्ति उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हमें यह भी ध्यान, रखना चाहिए कि, वैज्ञानिकों के अनुसार, अधिकांश व्यक्ति, बुढ़ापे में विकलांग होने की संभावना सृजित हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि, भविष्य में बुढ़ापे में, कोई भी सामान्य व्यक्ति, इस बीमारी (विकलांगता) से ग्रसित हो सकता है।

इसलिए हमें, उन्हें सम्मान देने के, साथ-साथ उनके साथ सहानुभूति एवं सद्भावना रखना चाहिए। दूसरी तरफ भारत सरकार को भी, दिव्यांगों के लिए समय-समय पर, विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों का निर्माण करना चाहिए। ठीक उसी तरह, जिस प्रकार से, सुगम्य भारत अभियान संचालित किया है। मेरे विचार से, यह कार्यक्रम (सुगम्य भारत अभियान) देश के दिव्यांगों के लिए, एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। इसके लिए, मैं नरेंद्र मोदी जी की, सरकार को, धन्यवाद देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि, भविष्य में भी, सरकार इसी प्रकार के और कार्यक्रमों का गठन करें। तभी हमारे देश में विकलांगों की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा।

Reference:

1. Disability and Health Overview: -Impairments, Activities Limitation and Participation Restrictions., https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilitiesandhealth/disability.html#:~:text=what%20is%20disablitiy%3F,around%20them%20(participation%20restrictio).
2. Definition of Disability: -Office of The State Commissioner for Person with Disability, Government of Meghalaya., https://megscpwd.gov.in/disability-def.html#:~:text=%22persons%20with%20disability%22%20means%20a,in%20society%20equally%20with%200theres.
3. Disability in India., Office of Chief Commissioner for Person with Disabilities., https://www.ccdisabilities.nic.in/resources/disability-india#:~:text=the%20infirmities%20inclubed%20insanity%2c%20deaf%2dmutenes%2c%20blindess%20and%20leprosy.andtext=in%20india%20out%20of%20the,2,21%25%20of%20the%20total%20pulation.
4. To See the Reference Number (1).
5. To See the Reference Number (1).
6. Vispute, S.B. (2021) The Problems of Differently-Abled Person in India and Remedies for The Empowerment of Their Rights., International Journal of Multidisciplinary Education Research., Vol.10, Issue-7 (11), 30 July 2021.
7. Pandey, R. and Charles, M.K. (2019) A Critical Study of Legal Right of People with Disability: -Indian Scenario., International Journal of Research and Analytical Review., Vol.6, Issue-1, January-March 2019.
8. Mishra, Y. and Chakraborty (2020) Right to Accessibility and Movement of Disabled Person in Public Place Dignifiedly: -An Analysis of Legal Framework with Special Reference to Right of Person with Disability Act 2016., International Journal of Creative Research. Thoughts, Vol.8, Issue-4, April 2020.
9. IBID.
10. The Rights of Person with Disability Act. 2016.

11. Charan Singh (2017) Financial Inclusion of The Disabled., Indian Institute of Management Bangalore, Bannerghatta Road, Bangalore, Working Paper No.556 IIMB-WP No.556.
12. The Gaps in Counting India Disabled Population. https://scroll.in/article/1028665/the-gaps-in-counting-india-disabled-population., [22 July 2022].
13. Chandramouli, C., General, R. Census of India 2011., Provisional Population Total, New Delhi, Government of India 2011:409-413.
14. O'Keefe P.B. People With Disabilities in India., From Commitment to Outcome: -The World Bank, Human Development Unit South Asia Region 2007,1 May, 1-186.
15. Bora, J.K. and Saikia N. (2015) Gender Differential in Self Rated Health and Self-Reported Disability Among Adult in India, PLOS.ONE 2015:10(11): e0141953.
16. Mishra, R.S., Mishra, R. Mohanty S.K. (2020) Gender Differential and Regional Disparity of Disability-Free Life Expectancy Among Disabled in India Clin Epidemiol Glob Health, 2020:8 (3):818-827.
17. Mitra, S., Posarac A. Vick, B (2013) Disability and Poverty in Developing Countries: -A Multidimensional Study, World Development 2013. 41:1-18.
18. Melzer, D. Mcwilliams, B. Brayne, C. Johnson, T. and Bond, J. (2000) Socio-Economic Status and The Expectation of Disabilities in Old Age: -Estimates for England J. Epidemiology Community Health. 2000, 54 (4):286-292.
19. Hosseinpoor A.R. Stewart, Sofia Williams J.A. Gautam, J. Posarac, A., Officer, A and Verdes, E. (2013) Socio-economics in Equality in Disability Among Adult: -A Multi Country Study Using the World Health Survey., AM J Public Health 2013:103(7):1278-1286.
20. To See the Reference Number (3).
21. To See the Reference Number (3).
22. To See the Reference Number (6).
23. To See the Reference Number (8).
24. To See the Reference Number (8).